

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही का वर्णन</p>
<p>14/12</p>	<p>पत्रावली आज प्रशासन गांवों के अतिरिक्त अतिरिक्त कैंप ह्यालोदडा में पेशा तहसीलदार नीमकाथाना उपो तहसीलदार नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रां पत्र तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा बहसिमत अधिकारी पेश हुआ है कि अप्राथमिक को पूर्व में बाड़े के रूप में अर्थ का आवंटन हुआ था परन्तु तत्काल इनका वापसकरण दर्ज करते समय राजस्व कारियों ने सख्त से गैर-स्वातेदार दर्ज कर दिया जबकि इनको बाड़ा आवंटन के कारण स्वातेदार ही दर्ज करना चाहिए था। प्रमाण स्वीकार किए जाने से अप्राथमिक को डिप्टी प्रकार की हानि या क्षति नहीं है। अतः तहसीलदार (अधिकारी) के द्वारा प्रस्तुत प्रां पत्र दुरुस्ती प्रस्ताव मानकर प्रां पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्राथमिक पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय किया जाता है। आदेश पत्र से जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दारखिल है। निर्णय प्रशासन गांवों के संग अतिरिक्त कैंप ह्यालोदडा में मजमे-भाग में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(12)</p> <p style="text-align: right;">(वृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)</p>

